रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2000/वैशाख 11, 1922

No. 302] NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2000/VAISAKHA 11, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2000

का.आ. 425(अ)—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के खण्ड 6 और 8 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबन्धों के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) संख्या का.आ. 557(अ) दिनांक 3 जुलाई, 1998 की अधिसूचना में दिनांक 3 जुलाई, 1998 को प्रकाशित आदेश में, पैराग्राफ 4 में, अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामश:

"विशेष रूप से, आयोग राज्य का राजस्व घाटा कम करने के ध्येय से एक अनुवीक्षणीय राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करेगा तथा ऐसे तरीके का सुझाव देगा जिससे राज्यों के आयोजना-भिन्न राजस्व खाते में आकलित घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें दिए जाने वाले अनुदान को कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रगति से जोड़ा जा सके।"

28 अप्रैल, 2000

हस्ता./-
(के.आर. नारायणन)
भारत के राष्ट्रपति

[सं० 10(12)-बी.(एस)/99]
डी. स्वरूप, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 28th April, 2000

S.O. 425(E).—The following Order made by the President is published for general information :

In pursuance of the provisions of article 280 of the Constitution read with sections 6 and 8 of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President hereby directs that in the Order dated the 3rd July, 1998 published in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S. O. 557(E), dated the 3rd July, 1998, in paragraph 4, the following shall be added at the end, namely :—

"In particular, the Commission shall draw a monitorable fiscal reforms programme aimed at reduction of revenue deficit of the State and recommend the manner in which the grants to States to cover the assessed deficit in their Non-plan Revenue account may be linked to progress in implementing the programme."

28th April, 2000

Sd/-
(K.R. NARAYANAN)
PRESIDENT OF INDIA

[No. 10(12)-B(S)/99]
D. SWARUP, Jt. Secy. (Budget)

1246 GI/2000

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064